न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—460/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/460)

1. श्री गोपाल सोनी पुत्र स्व0 श्री रतनलाल उम्र 74 वर्ष, जाति माहेश्वरी निवासी लक्ष्मीनारायण विहार कॉलोनी, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. प्रधुम्न सिंह पुत्र स्व0 श्री देवीसिंह बारहठ जाति चारण निवासी ग्राम उदयपुर खुर्द तहसील किशनगढ जिला अजमेर दूसरा पताः— 433, बी— 47ए, चामुण्डा, निवासी, बलदेव नगर, अजेमर जिला अजमेर।
2. अंजील जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन उम्र बालिग जाति जैन निवासी 9 अभिनन्दन, कल्याण कुंज की गली, गोकुल धाम के सामने, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
3. रिया जैन पत्नि अंजील जैन उम्र बालिग जाति जैन निवासी 9, अभिनन्दन, कल्याण कुंज की गली, गोकुल धाम के सामने, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
4. निशान्त जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन उम्र बालिग जाति जैन निवासी 9 अभिनन्दन, कल्याण कुंज की गली, गोकुल धाम के सामने, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
5. हर्षिता जैन पत्नि श्री निशान्त जैन उम्र बालिग जाति जैन निवासी 9 अभिनन्दन, कल्याण कुंज की गली, गोकुल धाम के सामने, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
6. मुन्नी कंवर पत्नि श्री रूपसिंह भाटी उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी 83, राजारेडी, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
7. रामनिवास जांगिड पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जांगिड उम्र बालिग जाति खाती (जांगिड) निवासी सुमेर नगर, पुलिया के पास, राजारेडी, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
8. तेजप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण निवासी 272, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर जिला जयपुर।
9. दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व0 श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण निवासी 133, इन्द्रा कॉलोनी, बनी पार्क, जयपुर जिला जयपुर।
10. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण निवासी 133, इन्द्रा कॉलोनी, बनी पार्क जयपुर जिला जयपुर।
11. सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
12. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ राजस्व वाद संख्या 192/2025 आदेश दिनांक 10.09.2025

उपस्थितः—

1. श्री आर0पी0शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विक्रम प्रताप पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5
3. श्री नागेश कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11, 12
5. रेस्पोडेंट संख्या 8 स्वयं उपस्थित
6. रेस्पोडेंट संख्या 1, 9, 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—10.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 192/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 688/2 रकबा 1.1979 है0 वाके स्थित किशनगढ बाबत उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.08.2025 द्वारा अपीलांट/वादी के हक में स्थगन आदेश पारित किया तत्पश्चात दिनांक 10.09.2025 द्वारा पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 12.08.2025 को निष्प्रभावी कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 192/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 9 से 10 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष अपीलांट/वादी ने राजस्व रिकॉर्ड से पूर्णतया यह सिद्ध कर दिया था कि अपीलांट/वादी का वादग्रस्त आराजी में 2/5 हिस्सा है। यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना विधिक बंटवारा कराये संयुक्त खातेदारी की भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल करने पर आमदा है जिस कारण उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने विधिवत रूप से दिनांक 12.8.2025 को स्थगन आदेश पारित किया था जिसे बिना किसी आधार पर आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 द्वारा निष्प्रभावी कर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ने भारी कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष आदेश दिनांक 12.8.2025 की पालना में अपीलांट/प्रार्थी ने आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट के नोटिस प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस प्रस्तुत कर दिये थे अर्थात् अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8. 2025 की पालना पूर्ण की थी जिसके बावजूद बिना किसी आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ जी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 पारित कर पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.8.2025 को निष्प्रभावी कर भारी कानूनी भूल की है। यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि बंटवारे के वाद में वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है ताकि वाद बाहुल्यता ना हो, उक्त बिन्दु पर गौर ना कर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 पारित कर भारी कानूनी भूल की है। बंटवारें के वाद में जहां तक हो वाद बाहुल्तया को रोकने के लिए रहन, बय, मुन्तकिल से पाबंद किया जाना चाहिए एवं वादग्रस्त

आराजी को सुरक्षित किया जाना चाहिए, उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर ना कर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9. 2025 पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर विधिवत रूप से दिनांक 12.8.2025 को स्थगन आदेश पारित किया था जिसमें बिना किसी आधार पर हस्तक्षेप कर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 पारित कर भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष उपस्थित होने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब अथवा आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.8.2025 को निष्प्रभावी कर भारी कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 में यह अंकन किया है कि अपीलांट द्वारा आदेश 39 नियम 3 क की पालना की स्पष्टतः पालना नहीं की गई। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 12.8.2025 के आदेश की पालना में रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस प्रस्तुत कर दिये गये तथा उनकी डिलवरी रिपॉर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई जिसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 पारित कर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 इस प्रकार है "पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1, 9, 10 की तलबी अस्पष्ट है अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 की ओर से वकील श्री विक्रम पुरोहित उपस्थित अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से वकील श्री गोविन्द दान उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 8 स्वयं उपस्थित, वकील पक्षकारान द्वारा निवेदन किया कि उन्हें प्रार्थना पत्र की प्रति नहीं मिली है, दिलवाई गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.8.2025 सशर्त जारी की गई थी किन्तु आदेश 39 नियम 3 'क' सी.पी.सी. के प्रावधान की स्पष्टतः पालना नहीं की गई है अतः अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.8.2025 को निष्प्रभावी किया जाता है, पत्रावली वास्ते तलबी इंतजार व जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 29.10.2025 को पेश हो", उक्त अंकन में यह कतई स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट ने किस प्रकार आदेश 39 नियम 3 'क' सी. पी.सी. की पालना नहीं की बल्कि अपीलांट ने आदेश 39 नियम 3 'क' सी.पी.सी. की पालना करते हुए रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे जो न्यायालय के द्वारा जारी भी कर दिये एवं उनकी तामिली के पश्चात रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक भी उपस्थित हो गये थे तथा उन्हें पुनः प्रार्थना पत्र की नकल प्रदान कर दी गई थी ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 में बिना किसी आधार पर पारित कर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 10.9.2025 एक प्रकार से इस तहर का आदेश है जिससे रेस्पोडेन्ट/ अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है जबकि कानूनन बंटवारें के वाद में वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखते हुए रहन, बय, मुन्तकिंल से पाबंद किया जाना चाहिए। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2025 माननीय राजस्व मण्डल, माननीय उच्च

न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धातों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार होने से एवं काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपार क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक बंटवारा कराये वादग्रस्त आराजी को निरंतर बेचान करते हुए आ रहे है जिनके विक्रय पत्रों की प्रति, वादग्रस्त आराजी के रंगीन फोटोग्राफ भी अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं इस न्यायालय के समक्ष भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि बंटवारे के वाद में वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखने हेतु रहन, बय, मुन्तकिल से पांबद किया जाना आवश्यक है उक्त बिन्दु पर गौर ना कर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। बिना विधिक रूप से बंटवार कराये, बिना कन्वर्जन करवाये कृषि भूमि को अकृषि कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त आराजी को बिना विधिवत बंटवारा करवाये, बिना कन्वर्जन करवाये प्लॉट काटकर बेचान कर रहे हैं एवं निर्माण कर रहे हैं जिससे उनका कृत्य कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करना एवं अकृषि कार्य में प्रयोग करना पूर्णतया स्पष्ट है जो कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत किये गए फोटोग्राफ से भी पूर्णतया सिद्ध है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 12.8.2025 द्वारा विधिवत रूप से स्थगन आदेश पारित किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ने अपने आदेश दिनांक 10.9.2025 द्वारा निष्प्रभावी कर भारी कानूनी भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 192/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2014 आरआरटी पार्ट 1 पेज 409, 2014 डीएनजे पार्ट 1 पेज 35, 1994 आरबीजे पेज 24, आरआरटी 2018–19 सपप0 पेज 531, 2016 आरबीजे पेज 468, 2019 आरबीजे पेज 129, 2019 आरबीजे पेज 551 प्रस्तुत किए गए हैं।

5. रेस्पोडेंट संख्या 8 ने दौराने अपील लिखित बहस में तथा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 एवं 6 व 7 ने मौखिक निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य दुर्भिसंधी के मध्यनजर रखते हुऐ व अपने नापाक ईरादों में कामयाबी हासिल करने के उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 08 एवम् अन्य मूल खातेदार को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है जबकि विवादित खसरा नं–688/2 रक्बा 1.979 हैक्टयर अर्थात 7 बीघा 8 बिस्बा किस्म बरानी 2 में प्रार्थी व अप्राथी नं 01 के मध्य आये हिस्सा 4/5 को उक्त भूमि के खातेदार से अर्थात रजिर्स्टड विक्रय पत्र से संयुक्त रूप से क्रय कर संयुक्त रूप से हक/हिस्सा उक्त रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र के आधार पर दिनांक 17/02/21 के राजस्व रिकॉर्ड में 4/5 हिस्सा अंकन होना बताया है जिसमें कि अपीलार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य बंटवारा नामा व तरमीन संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का होना है। जहाँ तक की भूमि के खातेदार का 1/5 हिस्सा जो कि स्व. श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र

स्व. श्री सोहन लाल के नाम अंकित हुआ है जो अलग से जमाबन्दी में भी दर्ज है का बंटवारा नामा स्व. श्री चन्द्रप्रकाश के पुत्रान अर्थात (1) शंकर प्रसाद (2) महेन्द्र कुमार (3) दुर्गाप्रसाद (4) तेजप्रकाश शर्मा के मध्य पटवारी हल्का तहसीलदार के रिपोर्ट के बाद चारों खातेदारों का नाम संयुक्त रूप से पूर्व में बटवारानामा एवं कब्जानामा जो कि इकरानामा की शर्तों के अनुसार किया जाना था के अनुसरण में 24.04. 2002 को खसरा नं–688/2 के 1/5 भाग में मूल खातेदारों के नाम तहसीलदार के द्वारा पटवारी हल्का मदनगंज से प्राप्त मौके से जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भूमि अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर तरमीन कायम कर मूल खातेदार है चारों खातेदारों के नाम इंद्राज कर दी गई थी जिसमें की मूल खातेदारों के द्वारा तरमीन शुदा भूमि जो कि संयुक्त रूप से खातेदारों की द्वारा तरमीन का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुऐ भूखण्डों पर मौके पर कब्जा शुदा/नक्शा शुदा सीमांकन के अलग–अलग भूखण्डों के मूल खातेदार कब्जा शुदा व अधिकार में स्थिति है। जिसकी प्रतिएस.डी.एम साहब किशनगढ़ को उपलब्ध करा दी है। खातेदारों ने पूर्व सें ही अपने–अपने भूखण्डों पर पक्की बाउण्ड्री को निर्माण किया हुआ है। जिसमें की वादी गोपाल सोनी व प्रतिवादी नं 1 प्रधुम्न सिंह का कोई अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सम्बंध सरोकार नहीं है। इन दोनों के मध्य उत्पन्न विवाद से आपराधिक व सिविल वाद चलना बताया है इन्होंने संयुक्त रूप से आपराधिक षडयन्त्र के तहत हम मूल खातेदारों को भी बेवजह ही परेशान व प्रताडित किया है। यह प्रार्थना पत्र केवल प्रार्थी व अप्रार्थी नं 1 के मध्य हुऐ आपसी विवाद व बिना 4/5 हिस्से का बंटवारा व तरमीन किये हुऐ अन्य लोगों को अवैध रूप विकय व अवैध रूप से काबिज करने के लिए हुऐ उत्पन्न विवाद का निस्तारण के लिए माननीय न्यायालय का सहारा लिया है जिसमें की मूल खातेदार को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है उक्त खसरा 688/02 के 4/5 हिस्से का विवाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 6,7 व अन्य को जिनको भूखण्ड़ का विक्रय किया हुआ है के मध्य है। स्वर्गीय श्रीमति गोविन्दी बाई धर्म पत्नि स्वः श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा निवासी मदन गंज, किशनगढ के वारिसान है तथा मदन गंज, किशनगढ़ स्थित कृषि भूमि 688/2 कृषि भूमि के मूल काश्तकार के रूप में अप्रार्थी संख्या 08 का नाम अन्य काश्तकारों के साथ 1/5 हिस्से में सीमाकन नक्शा, कब्जा, इकरारनामा मौके पर के द्वारा जमाबंदी में प्रतिस्थापित किए गए है। तहसीलदार भू–अधिकारी किशनगढ़ अजमेर के द्वारा रिपोर्ट पटवारी एवं सजरा रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी संख्या 08 के नाम खातेदार स्वः श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र स्वः श्री सोहन लाल शर्मा के स्थान पर नियमानुसार तरमीन कर विधिक वारिसान अंकित किए गए है। प्रत्यर्थीगण के पिता स्व. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के द्वारा कृषि भूमि खसरा नं 993 हाल 408 में स्थित 16 बीघा भूमि को जिसने की हम खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते थे तथा वर्तमान में मौके के कब्जे व आधिपत्य निर्माणशुदा भूखण्डों पर कमवार रूप से कायम है। खसरा नं 408 वर्तमान खसरा नं 688/2 पर अप्रार्थी संख्या 08 मौके पर काबिज है उक्त खसरा नं 688/2 में भूमि 7.25 बीघा में से हम पक्षकारों के पिता स्वः श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र स्वः श्री सोहन लाल के नाम से खातेदारी दर्ज कर जमाबन्दी खतौनी खेवट खतौनी नं 121 व पुरानी 111 काश्तकारी पक्षकारी दर्शित किया गया है आज की वर्तमान स्थिति में उक्त खसरा नं 688/2 में 1/5 हिस्से में हम अप्रार्थी का कब्जानामा व मौके पर काबिज है। अपीलार्थी/वादी/प्रार्थी व अप्रार्थी

संख्या 01 प्रधुमन सिंह को पूर्व में निष्पादित इकरारनामा केवल मूलखातेदारो के भूखण्ड़ का कन्वर्जन चार्ज, विकास शुल्क व अन्य भूमि रूपान्तरणशुल्क करना वचन बध है। जिसकी पालना अभी करना शेष है। जो कि विवधन के सिद्वान्त के तहत आज्ञापक पालना किया जाना है। उसकी पालना न होने पर मूल खातेदार समस्त हर्जे खर्चे निर्धारित राशि मय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा इकरारनाम दिनांक 27/01/1988 जो कि अप्रार्थी नं 08 व अन्य भाईयों के पिताजी स्वः श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के मध्य सशर्त निष्पादित हुआ था जिसके तहत हम अप्रार्थी नं 08 उक्त खसरा नं 688/2 के 1/5 हिस्से के समान्तर रूप से चार भागों में हकदार है। उक्त खसरा नं. 688/2 का इकरारनामा एवं मय कब्जानामा दिनांक 24/04/2002 को मौके पर उपस्थित होकर अप्रार्थी नं 08 के द्वारा भूमि का कब्जा मौके पर अपीलार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की उपस्थित में नक्शा मौका की स्थित से अप्रार्थी संख्या 8 व उनके तीन भाईयों ने प्राप्त कर काबिज चले आ रहे है। इकरारनामें के तहत चारों मूल खातेदारों के क्रमवार कन्वर्जन विकास व अन्य शुल्क अपीलार्थी/वादी/प्रार्थी का है उसकी पालना करने के पूर्व में प्रस्तुत अपील एवं वादपत्र निरस्तनीय है तथा तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा खैवट खतौनी में भी हम पक्षकारों का नाम अंकित कर स्वीकार किया गया है। उक्त कब्जानामे के अनुसार जरिऐ इकरारनामा बाबत बटवारानामा जायजाद कृषि भूमि खसरा नं 688/2 का निष्पादन मय नक्शा दिनांक निष्पादित कर दिया गया है। जिसके तहत हम काश्तकार काबीज चले आ रहे है। तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 12/10/2010 के अनुसरण में खसरा नं 688/2 में स्थित भूमि 7 बीघा 25 बिस्वा का बंटवारा जरिऐ प्रविशिष्टी जमाबन्दी में प्रतिस्थापित कर उक्त भूमि का 1/5 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 08 व उसके तीन भाईयों के नाम से समान हिस्सेदारी में क्रमवार रूप से नाम अंकित किया गया है। जिसकी तरमीन की कार्यवाही पूर्ण हो चूकी है। हम मूल खातेदार अपने–अपने हिस्सेशुदा भूखण्ड में काबिज व अधिपत्य है। उक्त खसरा नं 688/2 का जमाबन्दी के रिकॉर्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या 08 व उसके तीन भाई अलग–अलग रूप से कब्जा इकरारनामा व मौके कि स्थिति से क्रमवार रूप से तहरीर कर काबिज है।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.08.2025 द्वारा अपीलांट/प्रार्थी के हक में स्थगन आदेश पारित किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अपने आदेश दिनांक 10.09.2025 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 को निष्प्रभावी कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.08. 2025 इस आधार पर खारिज की गई कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आदेश 39 नियम 3(क) सीपीसी की पालना विधिवत रूप से नहीं की गई। जबकि हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.08.2025 के पश्चात अपीलांट/प्रार्थी ने उक्त आदेश की पालना में सीपीसी में वर्णित आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों अनुसार रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड एडी नोटिस

दिनांक 13.08.2025 को ही प्रस्तुत कर दिए थे तथा उक्त नोटिस जारी किए जाने के पश्चात कुछ रेस्पोडेंट्स को तामील होने के उपरांत उनके द्वारा अभिभाषक भी नियुक्त किए गए इस प्रकार अपीलांट द्वारा सीपीसी में वर्णित आदेश 39 नियम 3(क) की अवहेलना नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है तथा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होना शेष है व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का अंतिम रूप से निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पर बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को निस्तारण के लिए निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 192/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण 30 दिवस में कर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.05.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर